यू0 पी0 इण्डस्टियल कोआपरेटिव एसोसिएश्न् लि0 (यूपिका)कानपुर।

www.upica.co.in

यू0 पी0 इण्डस्टियल कोआपरेटिव एसोसिएश्न् लि0 (यूपिका) कानपुर प्रदेश की इण्डस्टियल कोआपरेटिव समितियों की राज्य स्तरीय संस्था है। यह संस्था सम्पूर्ण भारत में स्थित अपने 52 शोरूमों के माध्यम से बुनकरों, हस्तशिल्पियों , काटेज एवॅ लघु उद्योग के उत्पादों का विक्रय कर उनको सहयोग एवॅ सहायता प्रदान करती है। संस्था विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत विक्रय का कार्य करती है। बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से संस्था फेन्चाईज़ी योजना तथा प्राफिट शेयरिंग एवॅ सेल एण्ड रिटर्न योजना के अर्न्तगत व्यापार बढ़ाना चाहती है। उपरोक्त योजनाओं का विवरण निम्नवत् है–

(I) फेन्चाईज़ी योजना :–

बिक्री बढ़ाये जाने के उद्देश्य से जिन स्थानों पर यूपिका के प्रदर्शन कक्ष (शोरूम) नहीं है, उन स्थानों हेतु फेन्चाईज़ी नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा रहा है। आवेदक को यूपिका का नामिनल मेम्बर बनना अनिवार्य होगा ।

यहॉ प्रार्थना–पत्र के प्रारूप के लिये क्लिक करें ।

Click for Schedule-1

नामिनल मेम्बर के फार्म के लिये यहॉ क्लिक करें।

(II) शोरूम में प्राफिट शेयरिंग बेसिस पर सहभागिता योजना :–

संस्था के व्यापार एवॅ लाभ को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से शोरूम में प्राफिट शेयरिंग बेसिस पर सहभागिता योजना प्रारम्भ की गयी है। संस्था में इसे पायलेट योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस येाजना के अर्न्तगत आवेदनकर्ता इकाईयों को शोरूम का 70 प्रतिशत भाग बिक्री करने हेतु दिया जाता है, शेष 30 प्रतिशत स्थान पर यूपिका द्वारा अपने वस्त्रों की बिक्री की जाती है। इस योजना में यूपिका के चर्च बिल्डिंग, हजरतगॅज लखनउ , जनकपुरी, नईदिल्ली, बॉसफाटक वाराणसी, गॉधी वाटिका, रूढ़की, संजय प्लेस आगरा, नानाचौक मुम्बई, इन्द्रा बाजार जयपुर, सिविल लाईन इलाहाबाद, घंटाघर इलाहाबाद एवॅ अम्बावाड़ी अहमदाबाद स्थित शोरूमों में यह योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है।

इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है–

1. आवेदनकर्ता इकाई को प्रर्दशन कक्ष का 70 प्रतिशत स्थान ही बिक्री करने हेतु आंबटित होगा। शेष 30 प्रतिशत स्थान पर यूपिका द्वारा अपने माल की बिक्री करायी जायेगी।

2. आवेदकर्ता इकाई का वार्षिक न्यूनतम बिक्री लक्ष्य Minimum Guaranteed Sale (एम.जी.एस.) निर्धारित किया जाता है, जिस पर 20 प्रतिशत की दर से प्राफिट मार्जिन आवदेनकर्ता इकाई यूपिका को देगी। एम.जी.एस. से अधिक की बिक्री पर भी आवेदनकर्ता इकाई यूपिका को 20 प्रतिशत प्राफिट मार्जिन देगी। यदि आवेदनकर्ता इकाई एम.जी.एस. से कम सेल करती है, तो भी आवेदनकर्ता इकाई अनुमन्य एम.जी.एस. का 20 प्रतिशत प्राफिट मार्जिन यूपिका के पक्ष में देगी।

3. एम.जी.एस. पर प्राफिट मार्जिन की गणना ग्रास सेल पर की जायेगी। डिस्काउण्ट आवदेनकर्ता इकाई द्वारा दिया जायेगा एवॅ इसका भार भी उनके द्वारा ही वहन् किया जायेगा। भारत सरकार/ राज्य सरकार से यदि कोई रिबेट अनुमन्य होता है तो उसका लाभ आवेदनकर्ता इकाई को नहीं दिया जायेगा।

4. एम.जी.एस. में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक वर्ष की जायेगी एवॅ उसके अनुसार ही यूपिका को आवेदनकर्ता इकाई द्वारा प्राफिट मार्जिन देना होगा।

5. इस योजना के अर्न्तगत अनुबन्ध 4 वर्ष का होगा। उक्त कार्यकाल के बाद प्रबन्ध निदेशक, यूपिका द्वारा अनुबन्ध को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

6. बिक्री केन्द्र की काउण्टर सेल ही एम.जी.एस. के अर्न्तगत मान्य होगी। राजकीय आपर्ति एवॅ अन्य बिक्री को इससे पृथक

रखा जायेगा।

7. कैशमेमो यूपिका के प्रयोग में लाये जायेगें एवॅ धनराशि यूपिका के कार्मिक द्वारा प्राप्त करते हुये यूपिका के बैंकखाते में जमा की जायेगी। आवेदनकर्ता इकाई को उनके माल की बिक्री के अनुरूप भुगतान प्रत्येक माह में कर दिया जायेगा।

8. आवेदनकर्ता इकाई को रू0 1.00 लाख (एक लाख) का बैंक डाफट सिक्योरिटी के रूप में जमा करना होगा।

9. आवेदनकर्ता इकाई द्वारा हथकरघा, हस्तशिल्प, लघु एवॅ कुटीर उद्योग के उत्पाद और अनुमोदित आईटम ही बिक्री हेतु रखे जायेगें। इकाई द्वारा शोरूम पर बिक्री हेतु रखे गये माल के निरीक्षण का अधिकार यूपिका के पास सुरक्षित रहेगा।

10. आवेदनकर्ता इकाई अपने माल की बिक्री हेतु काउण्टर पर अपना प्रतिनिधि रखेगी एवॅ उसका समस्त खर्च आवेदनकर्ता इकाई द्वारा ही वहन् किया जायेगा। माल की जिम्मेदारी यूपिका/इकाई के प्रतिनिधियों की संयुक्त रूप से होगी परन्तु शोरूम के समस्त वैधानिक अधिकार जो यूपिका के हैं वो प्रभावित नहीं होगें।

11. प्रर्दशन कक्ष का नवीनीकरण एवॅ साज–सज्जा आवेदनकर्ता इकाई द्वारा अपने खर्चे पर ही कराया जायेगा। आवेदनकर्ता इकाई द्वारा विक्रय हेतु रखे गये माल के बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान इकाई द्वारा वहन् किया जायेगा।

12. अनुबन्ध की तिथि के बाद से शोरूम से सम्बन्धित बिजली बिल का भुगतान आवेदनकर्ता इकाई द्वारा किया जायेगा। इकाई के माल पर सभी प्रकार के टैक्स (जो भी देय होगा) आदि इकाई को यूपिका की ओर से वहन् करना होगा।

13. आवेदनकर्ता इकाई को यूपिका के बाई–लाज के अनुसार संस्था का नामिनल मेम्बर बनना अनिवार्य होगा। अन्य शर्ते अनुबन्ध–पत्र में उल्लेख की जायेगी, जिस पर आवेदनकर्ता इकाई की सहमति के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। नामिनल मेम्बर के फार्म के लिये यहॉ क्लिक करें।

14. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन / अकारण विवाद तथा अनुशासनहीनता किये जाने पर प्रबन्ध निदेशक, यूपिका को अधिकार होगा कि एक माह की नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त कर दें। विवाद की दशा में यूपिका के बाई–लॉज के अनुसार उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली के अधीन निस्तारित किया जायेगा। न्यायालय क्षेत्र कानपुर नगर होगा।

15. यूपिका आवश्यकता अनुसार नियम व शर्तो में संशोधन कर सकती है।
16. संस्था हित में प्रस्ताव/प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार प्रबंन्ध निदेशक, यूपिका में निहित है।

यहॉ प्रार्थना–पत्र के प्रारूप के लिये क्लिक करें ।

Click for Schedule-1

(III) सेल एण्ड रिटर्न बेसिस पर शोरूमों में सहभागिता :–

इस योजना के अर्न्तगत सदस्य बुनकर समितियों एवॅ नामिनल मेम्बरों द्वारा उत्पादित / आपूर्तित हथकरघा, हस्तशिल्प तथा लघु एवॅ कुटीर उद्योग उत्पादों को यूपिका के शोरूमों पर रखकर उनके द्वारा प्रदत्त दरों पर 50 प्रतिशत लाभाश सम्मिलित करने के उपरान्त 15 प्रतिशत छूट देते हुये बिक्री की जाती है। माल की बिक्री हो जाने के उपरान्त संस्था का मार्जिन यूपिका द्वारा प्राप्त करते हुये शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित समिति /इकाई को कर दिया जाता है। शोरूम पर रखा गया माल यदि तीनमाह के अन्दर नहीं बिकता है, तो उसे समिति / इकाई को वापस कर दिया जाता है। यह योजना संस्था के सभी 52 शोरूमों पर संचालित हो रही है। इच्छुक समितियॉ / इकाईयॉ शोरूम के प्रभारियों से सम्पर्क कर अपना माल बिक्री हेतु यूपिका के शोरूमों पर रख सकते हैं। समिति/ इकाई को यूपिका का सदस्य होना अनिवार्य है। नामिनल मेम्बर की सदस्यता हेतु यूपिका के शोरूम प्रभारियों अथवा मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

नामिनल मेम्बर के फार्म के लिये यहॉ क्लिक करें।